

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- 2121- 44/2008- 1115(2) पटना, दिनांक 30.6.08 वर्तमान पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक पदस्थापित रहने एवं स्वयं के अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	डा० उदयभान सिंह	Siwan	समस्तीपुर	पूर्वी चम्पारण
2	डा० सुभाष तिवारी	Gopalganj	समस्तीपुर	सारण
3	डा० पशुपति मिश्र	Darbhanga	समस्तीपुर	मधुपुरा
4	डा० शारदा नन्द झा	Darbhanga	समस्तीपुर	मधुबनी
5	डा० के०पी० महतो	Banka	समस्तीपुर	भोजपुर
6	डा० राम नरेश सिंह	Begusarai	समस्तीपुर	गृह आरक्षी विभाग
7	डा० राजेन्द्र मिश्रा	Madhubani	समस्तीपुर	दरभंगा
8	डा० मेजर शशि भूषण प्रसाद	Supoul	समस्तीपुर	सहरसा
9	डा० विमला कुमारी	Begusarai	समस्तीपुर	खगड़िया
10	डा० अशोक कुमार पाठक	Aurangabad	समस्तीपुर	बेगुसराय
11	डा० रवि भूषण प्रसाद	Patna	समस्तीपुर	मधुबनी
12	डा० आनन्द कुमार झा	Darbhanga	समस्तीपुर	मधुबनी
13	डा० चन्द्र मोहन सिन्हा	Nawada	समस्तीपुर	भागलपुर
14	डा० सत्य नारायण सिंह	Bhagalpur	समस्तीपुर	बेगुसराय
15	डा० त्रिपुरारी प्रसाद	Darbhanga	समस्तीपुर	मधुबनी
16	डा० विनोद कुमार राय	Madhubani.	समस्तीपुर	दरभंगा
17	डा० रमेश प्रताप शाही	Patna	समस्तीपुर	सीतामढ़ी

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौंपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी ।


3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेगे । अगर

4/2/08

चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।
5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।
6. चूंकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।
7. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प्रसाद कुमार)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 30.6.2008

ज्ञापांक - 2/टी- 44/2008-1115(2)

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव